

FORM NO.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम चित्तौड़गढ़ (राज.)

कालीबाई बनाम राजू

किस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट. नम्बर 64/2025

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
27-2-25	<p>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 रालेरेए के तहत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत, दर्ज रजिस्टर हो।</p> <p>प्रार्थी श्री / श्रीमती <u>कालीबाई</u></p> <p>पिता श्री <u>श्री ७१० पिन्हु गुलार</u></p> <p>निवासी- <u>सुरजन</u> तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ ने ग्राम <u>सुरजन (पं.स. लेमनपुरा)</u> स्थित खातेदारी की आराजी नम्बर.....</p> <p><u>985/553</u>, <u>987/560</u></p> <p>कुल कीता <u>02</u> कुल रकबा <u>0.5650</u> है० की पत्थरगढी कराये जाने हेतु निवेदन किया। उक्त आराजी प्रार्थी के खातेदारी की आराजी में दर्ज रेकार्ड है।</p> <p>अतः प्रार्थी की ग्राम <u>सुरजन (पं.स. लेमनपुरा)</u> स्थित खातेदारी की भूमि आराजी नम्बर <u>985/553</u>, <u>987/560</u></p> <p>कुल कीता <u>02</u> रकबा <u>0.5650</u> है० की बिना किसी कब्जे में दखलन्दाजी किये, सेंटलमेन्ट नक्शे अनुसार पत्थरगढी करने के आदेश दिये जाते हैं। पत्थरगढी का खर्चा प्रार्थी वहन करेगा। शुल्क <u>1.000</u> रुपये अक्षरे <u>63 हजार (50 पत्र)</u> प्रार्थी से वसूल हो, पालना प्राप्त हो। पत्रावली निर्णित हो। पत्रावली पालना प्राप्ति पर पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">(वीनू देवता) सहायक क्लर्क एवं उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.)</p>